

******* DG AIR Clarification 11/3/19 के विषय मे *******

प्रिय साथियों,

कल 11/3/19 को जो स्पष्टीकरण जारी हुआ है उसके विषय मे कुछ बातें बताना चाहता हूं :

07/2/19 के आर्डर के बाद सब लोग दो बातों से शंकित थे :

(1). प्रशासन ने 5000-8000 का सवाल जो कि 01/01/96 से notionally आरती OA 4424/14 के अनुसार 12/5/17 के आर्डर के द्वारा दिया गया था, को withdraw करने की तैयारी में लग गए थे । कई जगह तो फिक्सेशन शुरू भी कर दिया गया था ।

(2). Tech जिन्होंने 25/2/99 के बाद और 05/10/07 पहले *4000-6000* के स्केल में जाँइन किया था , इनको *आरती OA 1575/15 के अनुसार* 16/5/17 के आर्डर द्वारा *date of joining से 4500-7000 का स्केल Arrears के साथ दिया गया था* । एडमिन के लोग Arrears रिकवर करने की तैयार थे । यही नहीं जहां Arrears का पेमेन्ट नहीं हुआ था वहाँ भुगतान करने से मना किया जा रहा था ।

हमारे पास केंद्रों से कॉल आ रही थी कि स्पष्टीकरण जल्दी से जल्दी जारी करवाया जाए ।

इस स्पष्टीकरण से ये दोनों खतरे दूर हो गए हैं ।

अब रही *23/01/2011* से Arrears की बात । DG(AIR) का कहना है कि उन्होंने टी. विजयकुमारण केस के निर्णय के अनुसार आर्डर निकाला है । निश्चित ही वह कोर्ट verdict को misinterpret कर रहे हैं । जिस एसोसिएशन के यह केस है उनको इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको रखना है । मुझे विश्वास है कि वो ऐसा अवश्य कर रहे होंगे ।

अभी इस स्पष्टीकरण, जो कि आरती के लगातार व जबरस्त followup के कारण हुआ है, के लिए बधाई ।

हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सदस्यों के हितों का भविष्य में भी इसी प्रकार पोषण व इनकी इसी प्रकार सुरक्षा करते रहेंगे* ।

आपका,
उमेश चंद्र, अध्यक्ष,
आरती ज़िंदाबाद